विदेशों में भारतीय प्रवासी

विश्व के कई हिस्सों में भारतीयों के प्रवास का एक लंबा इतिहास रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत प्रवासियों और आप्रवासी समुदायों का सबसे बड़ा स्रोत देश है। उपमहाद्वीप के तटों से लेकर दुनिया के सुदूर कोनों तक, भारतीय प्रवासियों की यात्रा उनके लचीलेपन, उद्यम और सांस्कृतिक जीवंतता को प्रकट करती है। सदियों से पूरी दुनिया में फैले इस प्रवासी समुदाय ने ऐतिहासिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इसके अलावा, वर्तमान को आकार दिया है और इसके साथ-साथ भविष्य को प्रभावित किया है।

इस डॉक्यूमेंट में हम निम्नलिखित पर चर्चा करेंगे

1. 'डायस्पोरा' शब्द का क्या अर्थ है? 2
2. प्रवासी भारतीयों की संख्या में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक कौन-से हैं? 2
   2.1. भारतीय प्रवासियों की वृद्धि और विस्तार का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? 3
3. भारत और गंतव्य देशों दोनों के लिए प्रवासी भारतीयों का क्या महत्त्व है? 4
4. प्रवासी भारतीयों की संख्या में वृद्धि से कौन-सी चुनौतियां उभरी हैं? 6
   4.1. विविध क्षेत्रों में प्रवासी भारतीयों को किन विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? 7
5. प्रवासी भारतीयों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और उनके साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं? 8
   5.1. प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा के लिए कौन-से अंतर्राष्ट्रीय साधन उपलब्ध हैं? 9
6. प्रवासी भारतीयों के साथ सार्थक संबंधों का निर्माण और पोषण कैसे किया जाए? 10
   निष्कर्ष 11
   टॉपिक: एक नज़र में 12
   बॉक्स, चित्र और टेबल 13

1. 'डायस्पोरा' शब्द का क्या अर्थ है?

"डायस्पोरा" शब्द **ग्रीक शब्द डायस्पेरिन** से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है **"फैलाव"**। समय के साथ, यह शब्द विकसित होता गया और अब यह सामान्य रूप से **ऐसे किसी भी व्यक्ति/ व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है, जो एक समान मूल या संस्कृति वाले किसी विशेष देश से** संबंधित होते हैं। हालांकि, ये विविध कारणों से **अपनी मातृभूमि से बाहर** रहते हैं।

- भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों के लिए कोई विशेष परिभाषा निर्धारित नहीं की है। भारतीय डायस्पोरा में ऐसे लोगों का समूह शामिल है, **जो मूल रूप से भारत से जुड़े हुए हैं या जो अस्थायी या स्थायी रूप से विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक** हैं।
  - आमतौर पर इस डायस्पोरा में **अनिवासी भारतीयों (NRIs), भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIOs) और प्रवासी भारतीय नागरिकों (OCI)** को शामिल किया जाता है। इनमें से PIO और OCI कार्ड धारकों को **2015 में एक श्रेणी OCI में विलय** कर दिया गया था।

बॉक्स 1.1 भारतीय प्रवासियों से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां

- **भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO):** इसमें **पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ईरान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल के नागरिक शामिल नहीं** हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) का अर्थ **किसी ऐसे विदेशी नागरिक से है:**
  - जिसके पास किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट रहा हो; या
  - जिसके माता-पिता/ दादा-दादी/ परदादा-परदादी में से कोई एक भारत शासन अधिनियम, 1935 में परिभाषित **भारत में और उसके बाद भारत का हिस्सा बनने वाले अन्य राज्यक्षेत्रों में** पैदा हुआ था और स्थायी रूप से उसका निवासी था, बशर्ते कि उनमें से कोई भी किसी भी समय उपर्युक्त देशों (जैसा कि ऊपर बताया गया है) में से किसी का नागरिक न हो।
  - जो **भारत के नागरिक या PIO का जीवनसाथी** है।
- **प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI):** एक PIO जो एक प्रवासी नागरिक है और **नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7A** के तहत प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक के रूप में पंजीकृत है, एक OCI है।
- **अनिवासी भारतीय (NRI):** एक **भारतीय नागरिक जो आमतौर पर भारत से बाहर** रहता है और **उसके पास भारतीय पासपोर्ट** है।

2. प्रवासी भारतीयों की संख्या में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक कौन-से हैं?

लोगों के दूसरे देशों में प्रवास और प्रवासी भारतीय समुदायों के गठन के लिए **जिम्मेदार अलग-अलग कारकों को मोटे तौर पर निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है:**

- **पुश फैक्टर (विकर्षक कारक)**
  - **आर्थिक कठिनाइयां:** गरीबी, रोजगार के अवसरों की कमी, असमानता आदि सभी देश के नागरिकों को कहीं और बेहतर आर्थिक संभावनाएं तलाशने के लिए बाध्य कर सकती हैं।
    - उदाहरण के लिए, आर्थिक संकट के कारण समकालीन वेनेजुएला के नागरिकों का पलायन।
  - **सामाजिक भेदभाव:** नस्ल, नृजातीयता, धर्म, लैंगिक रुझान पर आधारित भेदभाव लोगों को अधिक स्वीकार्य समाज की तलाश में प्रवास करने के लिए विवश कर सकता है।
    - उदाहरण के लिए, म्यांमार से रोहिंग्याओं का पलायन।
  - **संघर्ष और उत्पीड़न:** युद्ध, आतंकवाद, नृजातीय या धार्मिक हिंसा और राजनीतिक उत्पीड़न लोगों को अपने मूल निवासों से प्रस्थान करने के लिए मजबूर कर सकते हैं।
    - उदाहरण के लिए, होलोकॉस्ट के दौरान जर्मनी से यहूदियों का प्रवास।
  - **पर्यावरणीय कारक:** सूखा, बाढ़, भूकंप और अन्य पर्यावरणीय आपदाएं लोगों को अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए विवश कर सकती हैं और उनके विस्थापन का कारण बन सकती हैं।
    - उदाहरण के लिए, अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में जारी मरुस्थलीकरण ने उत्तरी अफ्रीका और यूरोप की ओर प्रवासन में योगदान दिया।
- **पुल फैक्टर (आकर्षक कारक)**
  - **आर्थिक अवसर:** दूसरे देशों में नौकरी की संभावनाएं, उच्च वेतन और बेहतर जीवन स्तर के परिणामस्वरूप प्रवासन में वृद्धि हो सकती है।
    - उदाहरण के लिए, भारत से डॉक्टर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की ओर पलायन कर रहे हैं।
  - **राजनीतिक स्वतंत्रता और धार्मिक सहिष्णुता:** लोकतांत्रिक सरकारें और धार्मिक स्वतंत्रता वाले देश अधिक प्रतिबंधात्मक समाजों के लोगों को आकर्षित कर सकते हैं।
    - उदाहरण के लिए, हांगकांग में 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के बाद हांगकांग के नागरिकों का यूनाइटेड किंगडम, कनाडा आदि देशों में प्रवास देखा गया था।
  - **सामाजिक सुविधाएं और सेवाएं:** शैक्षिक और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं जैसी बेहतर सामाजिक सुविधाओं तक पहुंच, लोगों को अन्य देशों की ओर आकर्षित कर सकती है।
    - उदाहरण के लिए, स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों में उनकी अनुकूल सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के कारण सेवानिवृत्त लोगों का इन देशों की ओर प्रवास अधिक देखा जाता है।
  - **परिवार का एकीकरण:** परिवार के उन सदस्यों से जुड़ना जो पहले ही प्रवास कर चुके हैं, लोगों के लिए दूसरे देश में जाने का एक और कारण हो सकता है।
- **अन्य कारक**
  - **व्यापार और वैश्वीकरण: व्यापार मार्ग और वैश्विक आर्थिक नेटवर्क लोगों एवं वस्तुओं की आवाजाही** को सुविधाजनक बना सकते हैं। इससे प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों/ देशों में प्रवासी भारतीय समुदायों का गठन हो सकता है।
    - उदाहरण के लिए- मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया जैसे देशों में भारतीय व्यापारियों एवं श्रमिकों का ऐतिहासिक प्रवास।
  - **तकनीकी प्रगति:** बेहतर परिवहन और संचार प्रौद्योगिकियों ने लोगों के लिए प्रवास व अपनी मातृभूमि से जुड़े रहना आसान एवं तीव्र बना दिया है।
  - **सांस्कृतिक संबंध:** मौजूदा सांस्कृतिक संबंध, ऐतिहासिक प्रभाव और साझा भाषाएं लोगों के लिए विशिष्ट गंतव्यों की ओर पलायन के लिए स्वाभाविक आकर्षण पैदा कर सकती हैं।

2.1. भारतीय प्रवासियों की वृद्धि और विस्तार का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है?

दक्षिण एशियाई प्रवासियों या उनके पूर्वजों ने विविध प्रवास पैटर्न का अनुसरण करते हुए भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़ दिया था। सामान्य तौर पर, दक्षिण एशियाई प्रवासन की चार लहरों पर चर्चा की जाती है।

- **प्रथम लहर:** प्राचीन काल से **व्यापारियों का प्रवास** हुआ है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय तटीय समुदायों ने **पूर्व-औपनिवेशिक काल** में पूर्वी एशिया, दक्षिण-पूर्वी एशिया, पूर्वी अफ्रीका और मध्य एशिया के साथ लाभदायक संबंध विकसित किए।
- **दूसरी लहर:** 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में **औपनिवेशिक काल** के दौरान मॉरीशस, मलाया, त्रिनिदाद, जमैका, नेटाल, सूरीनाम, फिजी, बर्मा, पूर्वी अफ्रीका, कनाडा, थाईलैंड आदि में गिरमिटिया मजदूरों का प्रवास हुआ था।
  - **1833 में ब्रिटिश साम्राज्य में दासता की समाप्ति** के कारण कई ब्रिटिश उपनिवेशों की बागान अर्थव्यवस्थाओं में अकुशल व सस्ते मजदूरों की भारी मांग बढ़ गई थी।
    - गिरमिटिया श्रम प्रणाली **औपचारिक रूप से 1834 में अस्तित्व** में आई थी और **1917 में कानून के माध्यम से इसके उन्मूलन** तक जारी रही थी।
  - पहली लहर और इस लहर में मुख्य अंतर यह था कि इसमें अधिकांश प्रवासन **'विवशता'** पर आधारित था, वह **स्वैच्छिक नहीं** था।
- **तीसरी लहर:** इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का प्रवासन शामिल था। इसमें **1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन; 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति-संग्राम तथा श्रीलंकाई गृहयुद्ध के परिणामस्वरूप शरणार्थी और संघर्ष-प्रेरित प्रवासन** शामिल थे।
  - 1947 से 1962 के दौरान भारतीयों को उत्तर-औपनिवेशिक संबंधों के तहत यूनाइटेड किंगडम में प्रवेश करने, रहने, काम करने, मतदान करने और सार्वजनिक पदों पर नियुक्त होने के लिए अप्रतिबंधित राष्ट्रमंडल निवासियों के रूप में अनुमति दी गई थी। इस व्यवस्था ने **प्रवासन में योगदान** दिया था।
  - 1970 के दशक के दौरान खाड़ी देशों में तेल-उद्योग में उछाल के परिणामस्वरूप **'खाड़ी देशों की ओर प्रवास'** हुआ था। इस प्रकार सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत, कतर और बहरीन जैसे पश्चिम एशियाई देशों में प्रवासी समुदायों का गठन हुआ।
  - इस लहर में वैश्वीकरण व सूचना प्रौद्योगिकी-सेवा उद्योगों के विकास और आर्थिक अवसरों से प्रेरित समकालीन कुशल एवं पेशेवर प्रवासन भी शामिल है।
- **चौथी लहर:** द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में 'दो बार प्रवास' या 'दूसरी (या तीसरी) बार प्रवास' का पैटर्न उभरा।
  - उदाहरण के लिए, सूरीनाम में भारतीय गिरमिटिया मजदूर जो अंततः नीदरलैंड में बस गए थे या जो पूर्वी अफ्रीका से निष्कासित कर दिए गए तथा यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में बस गए थे।

चित्र 2.1. भारतीय प्रवासियों का भौगोलिक वितरण

- विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, **लगभग 32.2 मिलियन प्रवासी भारतीय** हैं। इनमें **13.6 मिलियन अनिवासी भारतीय (NRIs) और 18.6 मिलियन भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO)** शामिल हैं।
- **विश्व प्रवासन रिपोर्ट, 2022** के अनुसार **विदेशों में रहने वाले लगभग 18 मिलियन लोगों की सबसे बड़ी प्रवासी आबादी भारत से है,** जो इसे विश्व स्तर पर प्रवासियों का सबसे बड़ा मूल देश बनाती है।

भारतीय प्रवासी समुदाय की 10 लाख (1 मिलियन) से अधिक आबादी वाले शीर्ष 10 देश

1. संयुक्त राज्य अमेरिका (4.4 मिलियन+)
2. संयुक्त अरब अमीरात (3.4 मिलियन+)
3. मलेशिया (2.9 मिलियन+)
4. सऊदी अरब (2.5 मिलियन+)
5. म्यांमार (2 मिलियन+)
6. यूनाइटेड किंगडम (1.7 मिलियन+)
7. कनाडा (1.7 मिलियन+)
8. श्रीलंका (1.6 मिलियन+)
9. दक्षिण अफ्रीका (1.5 मिलियन+)
10. कुवैत (1 मिलियन+)

Source: Ministry of External Affairs, Government of India (October, 2023)

3. भारत और गंतव्य देशों दोनों के लिए प्रवासी भारतीयों का क्या महत्त्व हैं?

भारतीय प्रवासियों का महत्त्व **सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक आयामों** में भारत व गंतव्य देशों दोनों तक विस्तारित है।

- **सामाजिक-सांस्कृतिक**
  - **परंपराओं को संरक्षित और समृद्ध करना:** भारतीय प्रवासी अनेक परंपराओं (जैसे भाषाओं, क्षेत्रीय लोक नृत्यों, कर्नाटक व हिंदुस्तानी जैसी शास्त्रीय संगीत शैलियों और विविध व्यंजनों) को लेकर गंतव्य देशों में जाते हैं।
    - समुदाय सक्रिय रूप से भाषा विद्यालयों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, धार्मिक प्रथाओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों के माध्यम से इन्हें संरक्षित करते हैं।
  - **सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** प्रवासी समुदाय दीपावली जैसे त्यौहारों का आयोजन करते हैं, मेजबान समुदायों को भारतीय संस्कृति से परिचित कराते हैं और सांस्कृतिक बहुलवाद, विश्वबन्धुत्व आदि की समझ व महत्त्व को बढ़ावा देते हैं।
    - प्रवासी अपने मेजबान देशों की संस्कृतियों के तत्वों को भी समाहित करते हैं। इससे इंडो-कैरेबियन व्यंजन जैसे समृद्ध सांस्कृतिक मिश्रण का सृजन होता है।
- **आर्थिक महत्त्व**
  - **विप्रेषण (Remittances):** विश्व बैंक ने भारत को वैश्विक विप्रेषण के शीर्ष प्राप्तकर्ता के रूप में रेखांकित किया है। विप्रेषण लाखों भारतीय परिवारों के आर्थिक कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। साथ ही, गरीबी के नियंत्रण और देश की संवृद्धि में योगदान देता है।
    - **विप्रेषण प्रकृति में प्रतिचक्रीय होते हैं।** ये आर्थिक गिरावट या मंदी की अवधि के दौरान बढ़ जाते हैं। ऐसा इस कारण होता है, क्योंकि प्रवासी अक्सर कठिन समय के दौरान मूल देशों में अपने परिवारों का समर्थन करने के दायित्व को प्रबल भावना से निभाते हैं।
    - विप्रेषण का विदेशी मुद्रा के अन्य स्रोतों की तुलना में बड़ा आकार होता है और यह सार्वजनिक वित्त में भी अप्रत्यक्ष योगदान करता है। इस कारण यह **सॉवरेन रेटिंग और ऋण चुकाने की क्षमता में सुधार** करने में भी मदद करता है।
  - **व्यापार और वाणिज्य:** भारतीय प्रवासी नए बाजार और अवसर उपलब्ध करवाकर भारत व मेजबान देशों के बीच व्यापार को सुगम बनाने में मदद करते हैं। प्रवासी आबादी भारतीय उत्पादों का उपभोग करती है और ऐसे उत्पादों को अपने मेजबान देशों में प्रचलन में लाती है।
  - **निवेश और उद्यमिता:** भारतीय डायस्पोरा के कुशल सदस्य व्यवसायों में निवेश कर सकते हैं। साथ ही, देश के भीतर नवाचार, तकनीकी उन्नति और उद्यमिता का समर्थन करते हुए अपने ज्ञान व विशेषज्ञता को भारत वापस स्थानांतरित कर सकते हैं।
- **राजनीतिक महत्त्व**
  - **अंतर को समाप्त करना:** भारतीय प्रवासी भारत और अपने मेजबान देशों के बीच संचार को सुगम बनाने, विश्वास पैदा करने तथा उनके बीच मौजूद मुद्दों को हल करने के लिए **अनौपचारिक राजदूत** के रूप में कार्य करते हैं।
  - **समर्थन और प्रभाव:** भारतीय प्रवासी भारत के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी स्थानीय सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय रूप से भारत का समर्थन करते हैं। इसमें व्यापारिक समझौतों के समर्थन से लेकर मानवाधिकार संबंधी चिंताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी शामिल है।

- **सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन:** भारतीय प्रवासी मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में जागरूकता बढ़ाकर, सामाजिक न्याय आंदोलनों का समर्थन करके और समानता एवं समावेशन को बढ़ावा देने वाले नीतिगत बदलावों की वकालत करके भारत के भीतर हाशिए पर रहने वाले समुदायों का सहयोग कर सकते हैं।
  - उदाहरण के लिए, **गदर आंदोलन** औपनिवेशिक काल के दौरान **उत्तरी अमेरिका में भारतीय प्रवासियों द्वारा संचालित** किया गया था।

बॉक्स 3.1. भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में प्रवासी भारतीयों की भूमिका

- **मूल भाषा का प्रसार:** विश्व भाषा डेटाबेस **एथनोलॉग के अनुसार, 2019 में हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा** थी।
  - **फिजी ने हिंदी को आधिकारिक भाषा** के रूप में मान्यता दी हुई है।
- **परंपराएं और त्यौहार: इंडोनेशिया** जैसे दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में **रामलीला** का आयोजन किया जाता है।
- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** योग, आयुर्वेद, भारतीय व्यंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का प्रसार।
- **साहित्यिक लेखन और रचनात्मक कार्य:** भारतीय प्रवासियों के सामाजिक-सांस्कृतिक अनुभवों को **सलमान रुश्दी, राजा राव, अमिताव घोष** जैसे लेखकों ने प्रस्तुत किया है।
  - भारतीय प्रवासी महिला लेखिकाओं जैसे **अनिता देसाई, कमला मार्कंडेय, भारती मुखर्जी** आदि ने भी अपने मेजबान देशों में अपनी संस्कृति और पहचान को संरक्षित करने के अपने प्रयास को रेखांकित किया है।
- **प्रभाव और जागरूकता:** ब्लॉगिंग, स्टोरी टेलिंग, सोशल-मीडिया सहभागिता आदि **भारतीय संस्कृति, लोगों और समाज की समझ को बढ़ावा** देते हैं।

बॉक्स 3.2. भारत में विप्रेषण प्रवाह

- **भारत विश्व में विप्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है।**
  - विश्व बैंक के अनुसार भारत को **2023 में अनुमानित $125 बिलियन का विप्रेषण** प्राप्त हुआ था।
  - अर्थव्यवस्था में विप्रेषण का हिस्सा **सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.4%** है।
- **स्रोत देश:** संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर (उच्च-कुशल प्रवासी) से भेजा गया धन **कुल विप्रेषण का 36%** है।
  - **संयुक्त अरब अमीरात** संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत में विप्रेषण का **दूसरा** सबसे बड़ा स्रोत है। यह कुल विप्रेषण में **18%** का योगदान करता है।

बॉक्स 3.3. अपने मेजबान देशों के लिए भारतीय प्रवासियों का महत्त्व

- **स्थानीय श्रम बल का सहयोग करना:** भारतीय कई देशों में कुशल/ अर्ध-कुशल कार्यबल में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इससे मेज़बान देशों में प्रतिभाएं बढ़ती हैं और नवोन्मेषिता आती है।
- **व्यवसाय और उद्यमशीलता:** भारतीय अपनी उद्यमशील क्षमता के साथ-साथ व्यवसाय शुरू करने और अपने मेजबान देशों में नौकरियां सृजित करने के लिए जाने जाते हैं। इस प्रकार वे आर्थिक संवृद्धि और विविधीकरण में योगदान करते हैं।
  - उदाहरण के लिए, OECD देशों में मूल निवासियों की तुलना में आप्रवासियों में उद्यमशीलता अधिक है।

4. प्रवासी भारतीयों की संख्या में वृद्धि से कौन-सी चुनौतियां उभरी हैं?

प्रवासी भारतीयों की संख्या में वृद्धि के कारण व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर कई मुद्दे व चुनौतियां उभर कर सामने आती हैं। इसके अलावा, ये चुनौतियां मेजबान देश, सांस्कृतिक मतभेदों और व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर भी भिन्न होती हैं।

- **व्यक्तिगत एवं पारिवारिक स्तर पर**
  - आय अर्जन करने वाले या प्राथमिक देखभाल करने वाले सदस्य के प्रवास के कारण **पारिवारिक समस्या** विशेष रूप से तीव्र हो सकती है।
  - **माता-पिता और बच्चों का अलग होना** मनोसामाजिक चुनौतियों को जन्म दे सकता है। इससे मूल देश में छोड़े दिए गए परिवार के लोगों की सुभेद्यता बढ़ सकती है।
  - कुछ व्यक्तियों में **पहचान और अपनेपन की भावना का ख़त्म** हो सकती है। परिवारों के भीतर भी मुद्दे उठ सकते हैं, उदाहरण के लिए जब बच्चे अपने माता-पिता से अलग किसी देश से गहरा लगाव महसूस करते हैं।
- **सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर**
  - **प्रतिभा पलायन:** कुशल पेशेवरों या प्रतिभाओं का देश छोड़ना विकास और आर्थिक संवृद्धि में बाधा उत्पन्न कर सकता है। विशेष रूप से विशिष्ट कौशल की मांग वाले क्षेत्रकों में ऐसा हो सकता है।
  - **विप्रेषण पर निर्भरता:** यदि विप्रेषण के प्रवाह में उतार-चढ़ाव होता है या गिरावट आती है, तो प्रवासी भारतीयों से प्राप्त विप्रेषण पर अत्यधिक निर्भरता आर्थिक अस्थिरता पैदा कर सकती है।
  - **सांस्कृतिक विरासत का क्षरण:** कई मामलों में यह देखा गया है कि विदेश में रहने वाले लोगों के अपनी मूल परंपराओं और भाषा कौशल से संबंध समाप्त हो जाते हैं। इससे मातृभूमि का सांस्कृतिक ताना-बाना कमजोर हो सकता है।
  - **राजनीतिक प्रभाव और हस्तक्षेप:** प्रवासी समुदाय लॉबिंग, राजनीतिक दलों को वित्तीय सहायता और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जनता की राय को आकार देने के माध्यम से अपने मूल देश की सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। यह संभावित रूप से आंतरिक राजनीतिक तनाव या संघर्ष के पैदा होने का कारण बन सकता है।
  - **कर राजस्व का नुकसान:** यदि आबादी का एक बड़ा हिस्सा विदेश में रहता है, तो सरकार को सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कर राजस्व उत्पन्न करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
  - **विप्रेषण के अंतरण की लागत और वित्तीय समावेशन की कमी:** मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त-पोषण से जुड़ी चिंताओं के कारण प्रेषणकर्ता के लिए सभी विप्रेषण अंतरण हेतु अनुपालन प्रक्रियाएं बोझिल हो जाती हैं।
    - अनुपालन की उच्च लागत के कारण प्रेषणकर्ता औपचारिक वित्तीय संस्थानों से दूर हो सकते हैं। इस प्रकार वे अविनियमित चैनलों के माध्यम विप्रेषण कर सकते हैं। इससे वित्तीय लेन-देनों पर सरकार की निगरानी प्रभावित हो सकती है।
- **गंतव्य देश के लिए**
  - **सामाजिक एकीकरण और एकजुटता:** मेजबान/ गंतव्य देशों में आप्रवासियों की बड़ी संख्या सामाजिक सेवाओं और संसाधनों पर दबाव डाल सकती है। इससे संभावित रूप से गंतव्य देश की मूल आबादी के साथ तनाव पैदा हो सकता है।
  - **सांस्कृतिक टकराव और पूर्वाग्रह:** प्रवासी समुदाय और मेजबान समाज के बीच रीति-रिवाजों एवं परंपराओं में अंतर दोनों के बीच गलतफहमी व भेदभाव को जन्म दे सकता है।
  - **सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** सामाजिक एकीकरण की चुनौतियां और प्रवासी समुदायों का हाशिए पर जाना अतिवाद एवं सामाजिक अशांति की स्थितियां पैदा कर सकता है।
  - **आर्थिक प्रतिस्पर्धा:** प्रवासी समुदायों से कुशल या अल्प-कुशल श्रमिकों को मूल आबादी अपने यहां नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धी मान सकती है। यह श्रम बाजार में संघर्ष पैदा कर सकता है।
  - **राजनीतिक दबाव और सक्रियता:** प्रवासी अपने मेजबान देश में ऐसी नीतियों की मांग कर सकते हैं, जो उनके मूल देश को लाभ पहुंचाती हों। इससे संभावित रूप से मेजबान देश के हितों के साथ टकराव पैदा हो सकता है।

4.1. विविध क्षेत्रों में प्रवासी भारतीयों को किन विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?

भारतीय प्रवासियों को असंख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो विदेशों में उनके अनुभवों और पहचान को आकार देती हैं। भारतीय प्रवासियों के सामने आने वाली कुछ प्रमुख क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियां निम्नलिखित हैं:

- **पश्चिम एशिया**
  - **क्षेत्रीय संघर्षों के प्रति सुभेद्यता:** पश्चिम एशिया में अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य भारतीय प्रवासियों को हिंसा और संघर्ष के जोखिम में डालता है।
    - उदाहरण के लिए- यमन गृह युद्ध, इजरायल और फिलिस्तीन के बीच व्याप्त संघर्ष आदि।
    - इन स्थितियों में भारत सरकार द्वारा जटिल और महंगे बचाव अभियान संचालित करने की आवश्यकता हो सकती है।
  - **श्रम बाजार की अनिश्चितताएं:** सऊदी अरब में **"सउदीकरण"** नीतियों जैसे कारकों के कारण नौकरी छूटने से प्रवासियों की भारत में अचानक और अप्रत्याशित वापसी हो सकती है। इससे विशेषकर कम-कुशल या अर्ध-कुशल कार्यबल के बीच संभावित रूप से बेरोजगारी और आर्थिक कठिनाई पैदा हो सकती है।
  - **शोषण और अनुचित श्रम प्रथाएं:** धूर्त नियोक्ता प्रवासी श्रमिकों के सीमित कानूनी ज्ञान और कम भाषा कौशल का लाभ उठा सकते हैं। इससे उन्हें वेतन की कटौती, खराब कामकाजी परिस्थितियों या यहां तक कि शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ सकता है।
  - **भेदभाव और पूर्वाग्रह:** पश्चिम एशिया में भारतीय समुदायों को उनकी नृजातीयता, धर्म या सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इससे सामाजिक अपवर्जन, मनोवैज्ञानिक तनाव और आवश्यक सेवाओं को प्राप्त करने में कठिनाइयां हो सकती हैं।
  - **उग्रवाद और आतंकवाद का प्रसार:** इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी संगठनों की उपस्थिति इस क्षेत्र में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के समक्ष खतरा पैदा करती है।
    - इन संगठनों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के लिए भारतीय युवाओं का कट्टरपंथीकरण और उनकी भर्ती भारत के लिए **राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक चिंता** का विषय है।
- **यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया**
  - **अलगाववादी आंदोलनों को बढ़ावा:** अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थक विरोध प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप भू-राजनीतिक तनाव पैदा होता है। यह भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है।
  - **भेदभाव और नस्लवाद:** भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों को उनकी नृजातीयता, त्वचा के रंग या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव और नस्लीय हिंसा का सामना करना पड़ सकता है।
  - **शैक्षिक और व्यावसायिक मान्यता:** भारत में प्राप्त योग्यताओं और व्यावसायिक अनुभवों को संभवत: तुरंत मान्यता या महत्त्व नहीं दिया जा सकता है।
  - **कार्यस्थल से संबंधित चुनौतियां:** भारतीय पेशेवरों को कार्यस्थल पर प्रोन्नति या बेहतर नौकरी प्राप्त करने में बाधा, पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। करियर में उन्नति और समान अवसर प्राप्त करना सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के कारण बाधित हो सकते हैं।
  - **कानूनी और आप्रवासन संबंधी मुद्दे:** आप्रवासन नीति, निवास स्थिति आदि में अनिश्चितताएं प्रवासी भारतीयों के लिए तनाव का कारण बन सकती हैं।
    - उदाहरण के लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान H1B वीज़ा को लेकर अनिश्चितताएं पैदा हो गई थी।

बॉक्स 4.1. भारत सरकार द्वारा विभिन्न बचाव अभियान

- **ऑपरेशन कावेरी (2023):** सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए।
- **ऑपरेशन गंगा (2022):** रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन से भारतीय छात्रों को बचाने के लिए।
- **ऑपरेशन देवी शक्ति (2021):** युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए।
- **वंदे भारत मिशन (2020):** कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए।
- **ऑपरेशन संकटमोचन (2016):** दक्षिण सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए।
- **ऑपरेशन राहत (2015):** यमन से भारतीयों को निकालने के लिए।

5. प्रवासी भारतीयों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और उनके साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों के सामने आने वाली विविध चुनौतियों का समाधान करने तथा उनके साथ सार्थक सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध स्थापित करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं-

टेबल 5.1. प्रवासी आबादी के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय	
संस्थागत उपाय	➢ **2016 में प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय का विदेश मंत्रालय (MEA) के साथ विलय:** इसका लक्ष्य भारतीय प्रवासियों को भारत के करीब लाने के उद्देश्यों को साकार करने के लिए प्रवासी समुदाय व भारत सरकार के बीच बेहतर सहक्रिया स्थापित करना था। ➢ **प्रवासी भारतीय केंद्र:** 2016 में नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था। इस केंद्र के भारत और उसके प्रवासी भारतीयों के बीच सतत, सहयोगपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित होने की उम्मीद है। ▷ इसे **एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में भारतीय डायस्पोरा पर एक उच्च स्तरीय समिति** (2002) की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था। ➢ **इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ ओवरसीज़ इंडियंस (IDF-OS):** इसे 2008 में एक गैर-लाभकारी ट्रस्ट के रूप में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में सामाजिक और विकास परियोजनाओं में **प्रवासी भारतीय समुदाय की परोपकार की भावना को मूर्त रूप देना** था।
जुड़ाव स्थापित करने हेतु अन्य पहलें	➢ **प्रवासी भारतीय नागरिकता योजना:** यह योजना निर्दिष्ट PIOs को भारत के प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत करने के लिए शुरू की गई थी। ▷ इसे **नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2005** के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। ➢ **प्रवासी भारतीय दिवस:** यह प्रवासी भारतीयों के लिए केंद्र सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। इसे भारत के विकास में विदेशों में रह रहे भारतीय समुदाय के योगदान को चिह्नित करने के लिए आयोजित किया जाता है। **इसका प्रति दो वर्षों में (09 जनवरी) आयोजन** किया जाता है। ▷ भारत में प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लेने में असमर्थ सदस्यों तक पहुंचने के लिए **क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम** भी आयोजित किए जाते हैं। ➢ **शिक्षा और अनुसंधान:** अकादमिक नेटवर्क की वैश्विक पहल (GIAN), वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक (VAIBHAV) शिखर सम्मेलन, प्रवासी भारतीय अकादमिक और वैज्ञानिक संपर्क (PRABHASS), विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च (VAJRA/ वज्र) शिक्षक योजना, स्टडी इंडिया कार्यक्रम आदि। ➢ **प्रवासी कल्याण कार्यक्रम:** NRIs के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना, प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम, भारतीय समुदाय कल्याण निधि आदि। ➢ **सामाजिक-सांस्कृतिक जागरूकता और जुड़ाव:** भारत को जानो कार्यक्रम, प्रवासी तीर्थदर्शन योजना, भारत को जानिए ऑनलाइन क्विज आदि। ➢ **पुरस्कार और मान्यता:** प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के हिस्से के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा NRIs, PIOs या उनके द्वारा स्थापित और संचालित किसी संगठन/ संस्थान को **प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार** प्रदान किया जाता है।
डिजिटल आउटरीच	➢ **ई-माइग्रेट प्रणाली:** अल्प शिक्षित ब्लू-कॉलर श्रमिकों के विदेशों में रोजगार के लिए आवश्यक **इमिग्रेशन चेक प्रोसेस** को विनियमित करने हेतु विशिष्ट कम्प्यूटरीकृत प्रणाली स्थापित की गई है। ➢ **छात्र पंजीकरण पोर्टल:** आपातकालीन स्थिति में छात्रों से संपर्क करने के लिए छात्रों का एक डेटाबेस प्रदान करता है। ➢ **प्रवासी मतदाताओं के लिए ऑनलाइन सेवाएं:** NRIs की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने प्रवासी/ NRI मतदाताओं के लिए ऑनलाइन नामांकन सुविधा शुरू की है। ➢ **प्रवासी रिश्ता पोर्टल:** यह विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और प्रवासी भारतीयों के बीच प्रभावी तीन-तरफा संचार स्थापित करने के लिए एक सक्रिय पोर्टल है।

आर्थिक उपाय	➢ **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) मानदंडों का उदारीकरण:** निवेशक अनुकूल FDI नीति लागू की गई है। इसके तहत कुछ सामरिक/रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI के लिए खुले हैं। ➢ **उद्यमी संपर्क:** भारत-फ्रांस बिजनेस समिट (2023), यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल, B20 इंडिया 2023, आदि। ➢ **वित्तीय उपाय:** उदारीकृत विप्रेषण योजना, भारतीय ऋण बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) द्वारा दीर्घकालिक निवेश को प्रेरित करने के लिए **वॉलेंटरी रिटेन्शन रूट; RBI रिटेल डायरेक्ट** के तहत सरकारी प्रतिभूतियों (G-Sec) में NRIs द्वारा निवेश आदि।
द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यवस्थाएं	➢ **प्रवासन और आवागमन भागीदारी समझौते (MMPAs):** भारत ने प्रवासी भारतीयों के कल्याण एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई देशों के साथ MMPAs पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें फ्रांस, इटली आदि के साथ MMPAs, प्रवासन और आवागमन के लिए यूरोपीय संघ (EU)-भारत कॉमन एजेंडा (CAMM) आदि शामिल हैं। ➢ **श्रम बल समझौते (Labour Manpower Agreements: LMA):** भारत ने **खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के 6 देशों के साथ** LMAs पर हस्ताक्षर किए हैं। इनका उद्देश्य इन अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय कार्यबल के प्रवेश और उपस्थिति को सुगम बनाना है।

5.1. प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा के लिए कौन-से अंतर्राष्ट्रीय साधन उपलब्ध हैं?

ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय साधन और तंत्र हैं, जिनका उद्देश्य दुनिया भर में प्रवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना तथा उनके कल्याण को बढ़ावा देना है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण तंत्र या साधन निम्नलिखित हैं:

- **ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डर्ली एंड रेगुलर माइग्रेशन (2018):** इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के गवर्नेंस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। साथ ही, यह देशों को उनकी अपनी प्रवास संबंधी वास्तविकताओं व क्षमताओं पर आधारित नीतियों को लागू करने के लिए लोचशीलता व अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है।
    - यह **कानूनी तौर पर गैर-बाध्यकारी प्रकृति का समझौता** है।
- **शरणार्थियों और प्रवासियों के लिए न्यूयॉर्क घोषणा (2016):** इसमें सभी शरणार्थियों और प्रवासियों (चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो) के मानवाधिकारों की रक्षा करने; प्रवासन के वैश्विक गवर्नेंस को मजबूत करने आदि के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की गई है।
- **सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (1990):** यह प्रवासन की पूरी प्रक्रिया के दौरान सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के शोषण को रोकने व समाप्त करने का प्रयास करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM):** यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक हिस्सा है। यह सभी के लाभ के लिए मानवीय और व्यवस्थित प्रवासन को बढ़ावा देने वाले अग्रणी अंतर-सरकारी संगठन के रूप में कार्य करता है।
- **अन्य साधन:** मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948), नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (1965) आदि।

नोट: भारत ने **"सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (1990)"** की पुष्टि नहीं की है। हालांकि, **भारत ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डर्ली एंड रेगुलर माइग्रेशन (2018) का एक हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र** है।

6. प्रवासी भारतीयों के साथ सार्थक संबंधों का निर्माण और पोषण कैसे किया जाए?

भारतीय प्रवासियों के साथ सार्थक संबंध बनाने और उन्हें पोषित करने में एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। इसमें सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शासन संबंधी पहलू शामिल हैं।

- **वैधानिक और नीतिगत उपाय**
  - **प्रवासी भारतीयों के लिए नीति:** विदेश मंत्रालय को प्रवासी भारतीयों पर एक स्पष्ट नीतिगत दस्तावेज़ का मसौदा तैयार करना चाहिए, जो प्रवासी समुदाय के साथ जुड़ाव के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करेगा।
  - **उत्प्रवास (Emigration) प्रबंधन विधेयक:** संसद को एमिग्रेशन फ्रेमवर्क स्थापित करने, मंजूरी प्रक्रिया को उदार बनाने और विदेशी प्रवासियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रवास प्रबंधन विधेयक को कानून बना देना चाहिए।
  - **अनिवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019:** NRIs के बीच विवाहों में पत्नियों को छोड़ दिए जाने के बहुत अधिक मामले देखे जाते हैं। इसे रोकने के लिए सरकार को NRI महिलाओं के संरक्षण हेतु कानून बनाना चाहिए।
  - **भारतीय प्रवासियों पर डेटाबेस:** भारतीय दूतावासों को प्रवासी भारतीयों को स्वयं को पंजीकृत कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे जागरूक निर्णय लेने में सहायता मिलेगी और कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।
- **संस्थागत उपाय**
  - **अंतर-मंत्रालयी समन्वय तंत्र:** प्रवासन संबंधी नीतिगत प्राथमिकताओं की पहचान करने और उनके समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रासंगिक केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य/ स्थानीय प्राधिकरणों को शामिल किया जा सकता है।
  - **शिकायत निवारण:** शिकायतों के कुशल और प्रभावी समाधान के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) के माध्यम से एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जा सकता है।
  - **वन स्टॉप सेंटर्स:** संकटग्रस्त NRI महिलाओं और प्रवासी भारतीयों की मदद के लिए प्रवासी केंद्र स्थापित करने चाहिए।
  - **प्रवासी भारतीयों के वित्त का लाभ उठाना:** डायस्पोरा बॉण्ड जैसे साधनों के माध्यम से प्रवासी भारतीयों के वित्त को बढ़ावा देना चाहिए। इससे अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार तक पहुंच में सुधार होगा और भुगतान संतुलन को समर्थन प्राप्त होगा।
    - **डायस्पोरा बॉण्ड** एक ऋण साधन है जो किसी देश, एक उप-संप्रभु संस्था या एक निजी निगम द्वारा अपने विदेशी डायस्पोरा से वित्त-पोषण जुटाने के लिए जारी किया जाता है।
- **ज्ञान, विशेषज्ञता और कौशल**
  - **संभावित प्रवासी श्रमिकों को कौशल प्रदान करना:** घरेलू कौशल की गुणवत्ता में सुधार करना और देश भर में पाठ्यक्रम को मानकीकृत करना। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि प्रवासी कामगार विदेश जा सकें और बेहतर वेतन के साथ रोजगार सुरक्षित कर सकें।
  - **नॉलेज नेटवर्क और स्किल शेयरिंग प्लेटफॉर्म:** मजबूत ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और नेटवर्क स्थापित किए जाने चाहिए, जो प्रवासी पेशेवरों को भारत में व्यवसायों और संगठनों से जोड़ने में मदद करेंगे। इससे विविध क्षेत्रकों में ज्ञान व कौशल साझाकरण के माध्यम से **'प्रतिभा-पलायन' (ब्रेन ड्रेन) को 'प्रतिभा-लाभ' (ब्रेन-गेन) में बदलने** में सहायता मिलेगी।
  - **वित्तीय समावेशन:** विप्रेषण और विप्रेषण से जुड़ी सेवाओं के उपयोग के बारे में सूचित विकल्पों को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए प्रवासियों व उनके परिवारों के लिए सुलभ एवं लैंगिक रूप से उत्तरदायी वित्तीय शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए।
- **बचाव और सुरक्षा**
  - **अधिकारों और लाभों की पोर्टेबिलिटी:** प्रवासी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज और लाभ प्रदान करना चाहिए। साथ ही, सामाजिक सुरक्षा अधिकारों की पोर्टेबिलिटी भी उपलब्ध करवानी चाहिए। इनके लिए द्विपक्षीय और/ या बहुपक्षीय समझौतों को बढ़ावा देना चाहिए और उनका उपयोग करना चाहिए।
  - **पारस्परिक कानूनी सहायता संधियां (MLATs):** द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय संधियों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में पीड़ित सहायता प्रणाली को बेहतर बनाने, धोखाधड़ी को रोकने, संगठित अपराध से निपटने आदि में मदद कर सकता है।

बॉक्स 6.1. प्रवासी सहभागिता पर सफलता की कहानियां

- **मलेशिया** में एक प्रवासी भारतीय गन्ने की पेराई से बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए चीन से सस्ते उपकरण आयात करने की बजाय **भारत के नवोन्वेषी निर्माताओं** से उपकरण खरीदता है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका** में एक कामकाजी पेशेवर **भारत में ज्ञान और बौद्धिक संपदा अधिकारों के हस्तांतरण के आधार** पर दीर्घकालिक **नॉलेज सर्कल फुटप्रिंट** तैयार करता है।
- एक विदेशी आईटी फर्म में कार्यरत एक कार्यकारी एक **भारतीय उद्यमी** को वैश्विक बाजार में मोबाइल गेमिंग ऐप्स वितरित करने में सहायता करता है।
- एक प्रवासी भारतीय **भारत में कुशल कारीगरों और निर्माताओं** की एक टीम विकसित करता है। इनके जरिए वह भारत से डिजाइनर एथनिक साजो-सामान की एक नई अवधारणा विकसित करके विदेशों में इसका प्रचार करता है तथा इन्हें वैश्विक बाजारों तक पहुंचाता है।

बॉक्स 6.2. एक छोटी सी वार्ता! भारत को आत्मनिर्भर बनाने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका

विनय

विनी

विनय: विनी, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम भारत को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रवासी भारतीयों की अपार क्षमता का लाभ कैसे उठा सकते हैं।

विनी: हाँ, भारतीयों की गिनती दुनिया भर के सबसे समृद्ध समुदायों में होती है। उन्हें भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित करके पूंजी के इस स्रोत का उपयोग किया जा सकता है। वे नवाचार और विकास को आगे बढ़ाने के लिए विशेषज्ञता, पूंजी और नेटवर्क प्रदान कर सकते हैं।

विनय: हाँ, हमें ज्ञान हस्तांतरण और कौशल विकास के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। प्रवासी सदस्य भारत में उद्यमशीलता और उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए स्थानीय प्रतिभाओं को सलाह दे सकते हैं और उन्हें प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसे अब ब्रेन गेन कहा जा रहा है!

विनी: मैं सहमत हूं। प्रवासी भारतीयों के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देकर, हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उनके प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं और वैश्विक मंच पर भारत के हितों की पैरवी कर सकते हैं। इससे हमारी कूटनीतिक क्षमता और रणनीतिक साझेदारियां बढ़ सकती हैं।

विनय: बिल्कुल, विनी। भारत में सतत विकास और समृद्धि लाने के लिए भारतीय प्रवासियों की विविध प्रतिभाओं, संसाधनों और नेटवर्क का दोहन किया जा सकता है।

निष्कर्ष

प्रवासी भारतीयों की यात्रा एक निरंतर चलने वाली गाथा है। यह लगातार नए अध्यायों के साथ सामने आ रही है। नवाचार, नेतृत्व और अंतर-सांस्कृतिक सहयोग के लिए प्रवासी भारतीयों की क्षमता इन्हें तेजी से परस्पर जुड़ी दुनिया में सकारात्मक बदलाव के उत्प्रेरक के रूप में स्थापित करती है।

टॉपिक: एक नज़र में

भारत में डिजिटल समावेशन

- "डायस्पोरा" शब्द सामान्य रूप से **ऐसे किसी भी व्यक्ति/ व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है, जो एक समान मूल या संस्कृति वाले किसी विशेष देश से** संबंधित होते हैं। हालांकि, ये विविध कारणों से **अपनी मातृभूमि से बाहर** रहते हैं।
- **विदेशों में रहने वाले लगभग 32.2 मिलियन लोगों की सबसे बड़ी प्रवासी आबादी भारत से** है, जो इसे विश्व स्तर पर प्रवासियों का सबसे बड़ा मूल देश बनाती है।

प्रवासी भारतीयों की संख्या में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक

- **पुश फैक्टर (विकर्षक कारक):** आर्थिक कठिनाइयां, सामाजिक भेदभाव, संघर्ष और उत्पीड़न, पर्यावरणीय कारक आदि।
- **पुल फैक्टर (आकर्षक कारक):** आर्थिक अवसर, राजनीतिक स्वतंत्रता और धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सुविधाएं और सेवाएं, परिवार का एकीकरण आदि।
- **अन्य कारक:** व्यापार और वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति, सांस्कृतिक संबंध आदि।

भारतीयों का महत्त्व

- **सामाजिक-सांस्कृतिक:** परंपराओं को संरक्षित और समृद्ध करना, सांस्कृतिक आदान-प्रदान आदि।
- **आर्थिक महत्त्व:** विप्रेषण (Remittances), व्यापार और वाणिज्य को सुगम बनाने में मदद, निवेश को बढ़ावा आदि।
- **राजनीतिक महत्त्व:** संचार को सुगम बनाने के लिए **अनौपचारिक राजदूत** के रूप में कार्य करना, भारत के लिए महत्वपूर्ण नीतियों की पक्षधरता और प्रभाव।
- **मेजबान देशों के लिए:** स्थानीय श्रम बल का सहयोग करना, व्यवसाय और उद्यमशीलता को बढ़ावा आदि।

प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय

- **संस्थागत उपाय:** प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय का विदेश मंत्रालय (MEA) के साथ विलय, प्रवासी भारतीय केंद्र आदि।
- **जुड़ाव स्थापित करने हेतु अन्य पहलें:** प्रवासी भारतीय नागरिकता योजना, प्रवासी भारतीय दिवस आदि।
- **डिजिटल आउटरीच:** ई-माइग्रेट प्रणाली, छात्र पंजीकरण पोर्टल, प्रवासी रिश्ता पोर्टल आदि।
- **आर्थिक उपाय:** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) मानदंडों का उदारीकरण, उद्यमी संपर्क, जैसे- यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल आदि।
- **द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यवस्थाएं:** प्रवासन और आवागमन भागीदारी समझौते (MMPAs), श्रम बल समझौते।

भारतीय प्रवासियों की वृद्धि का ऐतिहासिक संदर्भ

- **प्रथम लहर:** भारतीय तटीय समुदायों के व्यापारियों ने **पूर्व-औपनिवेशिक काल** में प्रवास किए।
- **दूसरी लहर: औपनिवेशिक काल** के दौरान गिरमिटिया मजदूरों का प्रवास हुआ था। इसमें अधिकांश प्रवासन '**विवशता**' पर आधारित था, वह **स्वैच्छिक नहीं** था।
- **तीसरी लहर:** इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का प्रवासन शामिल था। इसमें 1970 के दशक के दौरान खाड़ी देशों में तेल-उद्योग में उछाल के परिणामस्वरूप '**खाड़ी देशों की ओर प्रवास**', कुशल एवं पेशेवर प्रवासन भी शामिल है।
- **चौथी लहर:** द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में 'दो बार प्रवास' या 'दूसरी (या तीसरी) बार प्रवास' का पैटर्न उभरा।

प्रवासी भारतीयों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न चुनौतियां

- **व्यक्तिगत एवं पारिवारिक स्तर पर: पारिवारिक समस्या,** मनोसामाजिक चुनौतियां, **पहचान और अपनेपन की भावना का ख़त्म** होना आदि।
- **सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर:** प्रतिभा पलायन, आर्थिक अस्थिरता, सांस्कृतिक विरासत का क्षरण, कर राजस्व का नुकसान आदि।
- **गंतव्य देश के लिए:** गंतव्य देश की मूल आबादी के साथ **सांस्कृतिक टकराव और पूर्वाग्रह के कारण** तनाव, प्रवासी समुदायों का हाशिए पर जाना आदि।
- **विविध क्षेत्रों की विशिष्ट चुनौतियां:**
  - **पश्चिम एशिया:** क्षेत्रीय संघर्षों के प्रति सुभेद्यता, शोषण और अनुचित श्रम प्रथाएं, उग्रवाद और आतंकवाद का प्रसार आदि।
  - **यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया:** अलगाववादी आंदोलनों को बढ़ावा, भेदभाव और नस्लवाद आदि।

आगे की राह

- **वैधानिक और नीतिगत उपाय:** प्रवासी भारतीयों पर एक स्पष्ट नीतिगत दस्तावेज़ का मसौदा तैयार करना चाहिए, उत्प्रवास प्रबंधन विधेयक को कानून बना देना चाहिए।
- **संस्थागत उपाय:** अंतर-मंत्रालयी समन्वय तंत्र, संकटग्रस्त NRI महिलाओं और प्रवासी भारतीयों की मदद के लिए वन स्टॉप सेंटर्स स्थापित करने चाहिए।
- **ज्ञान, विशेषज्ञता और कौशल:** संभावित प्रवासी श्रमिकों को कौशल प्रदान करना, मजबूत ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और नेटवर्क स्थापित करने से 'प्रतिभा-पलायन' (ब्रेन ड्रेन) को 'प्रतिभा-लाभ' (ब्रेन-गेन) में बदलने में सहायता मिलेगी।
- **बचाव और सुरक्षा:** सामाजिक सुरक्षा कवरेज और लाभ प्रदान करना चाहिए। साथ ही, पारस्परिक कानूनी सहायता संधियां (MLATs) की जानी चाहिए।

बॉक्स, चित्र और टेबल

बॉक्स 1.1 भारतीय प्रवासियों से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां 2
बॉक्स 3.1. भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में प्रवासी भारतीयों की भूमिका 5
बॉक्स 3.2. भारत में विप्रेषण प्रवाह 5
बॉक्स 3.3. अपने मेजबान देशों के लिए भारतीय प्रवासियों का महत्त्व 5
बॉक्स 4.1. भारत सरकार द्वारा विभिन्न बचाव अभियान 7
बॉक्स 6.1. प्रवासी सहभागिता पर सफलता की कहानियां 10
बॉक्स 6.2. एक छोटी सी वार्ता! भारत को आत्मनिर्भर बनाने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका 11
चित्र 2.1. भारतीय प्रवासियों का भौगोलिक वितरण 4
टेबल 5.1. प्रवासी आबादी के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय 8

39 in Top 50 Selection in CSE 2022
1 AIR ISHITA KISHORE
2 AIR GARIMA LOHIA
3 AIR UMA HARATHI N

हिंदी माध्यम में 40+ चयन CSE 2022 में
हिंदी माध्यम टॉपर
66 AIR KRITIKA MISHRA
85 AIR BHARAT JAI PRAKASH MEENA
105 AIR DIVYA
120 AIR GAGAN SINGH MEENA
173 AIR ANKIT KUMAR JAIN

8 in Top 10 Selection in CSE 2021
2 AIR ANKITA AGARWAL
3 AIR GAMINI SINGLA
4 AIR AISHWARYA VERMA
5 AIR UTKARSH DWIVEDI
6 AIR YAKSH CHAUDHARY
7 AIR SAMYAK S JAIN
8 AIR ISHITA RATHI
9 AIR PREETAM KUMAR

दिल्ली
HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate-6, Karol Bagh Metro Station, Delhi

MUKHERJEE NAGAR CENTRE
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar, Delhi

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066

1 AIR SHUBHAM KUMAR CIVIL SERVICES EXAMINATION 2020

ENQUIRY@VISIONIAS.IN /VISION_IAS WWW.VISIONIAS.IN /C/VISIONIASDELHI VISION_IAS /VISIONIAS_UPSC

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ़ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची